सं० बीमा–145/दस–94–55(बी)/1992

प्रेषक,

श्री एस० ए० टी० रिजवी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी, 1994

विषय :–उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण कर लाभार्थी को सीधे चेक भेजा जाना ।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावे के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि का चेक बीमा निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के नाम से तैयार करके भेजा जाता है जिसे वह अपने चालू खाते में जमा करते हैं । तत्पश्चात् अपने खाते से एक दूसरा चेक लाभार्थी के नाम तैयार करके सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करते हैं और वह उसे लाभार्थी को हस्तगत कराते हैं । भुगतान की इस प्रक्रिया में लाभार्थी को भुगतान मिलने में प्रायः विलम्ब होता है । अतः भुगतान में शीघ्रता लाने तथा भुगतान की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से,सम्यक् विचारोपरान्त, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 1994 से समस्त सरकारी सेवकों के योजनान्तर्गत देय धनराशि के दावे, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सीधे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे और निदेशालय द्वारा कर्मचारी/लाभार्थी के नाम चेक बनाकर सीधे सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे जिसे आहरण एवं वितरण अधिकारी कर्मचारी/लाभार्थी को हस्तगत करायेंगे ।

2–यह भी निर्णय लिया गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त सरकारी सेवक/लाभार्थी के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते की संख्या तथा बैंक का नाम व शाखा भी स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी ।

3–योजना के अन्तर्गत देय धनराशि के चेक की मान्य अवधि इसके निर्गमन माह के अनुवर्ती तीन माह होगी ।

4–वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों के स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक में संचालित किये जा रहे चालू खाते में जमा धनराशि का सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करने के उपरान्त उक्त खाते बन्द कर दिये जायेंगे तथा बैंक से एतद्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उसे मूल रूप में संलग्न करते हुये उक्त चालू खाता बन्द किये जाने की सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को विलम्बतम दिनांक 30 अप्रैल, 1994 तक अवश्यमेव उपलब्ध करा दी जायेगी ।

5–यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 मार्च, 1994 के पूर्व सामूहिक बीमा निदेशालय को योजना संबंधी प्रेषित किये गये दावे, जिनमें सरकारी सेवक/लाभार्थी द्वारा खोले गये बचत बैंक खाते की संख्या तथा बैंक का नाम व उसकी शाखा आदि का उल्लेख नहीं होगा, का निस्तारण यदि दिनांक 1 मार्च, 1994 अथवा उसके उपरान्त किया जाता है तो निदेशालय सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम से एकाउन्ट पेई चेक बनायेंगे और उसमें उसके पिता/पति का नाम भी अंकित करेंगे ।

6–एतद्सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

7–कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें ।

भवदीय,

एस० ए० टी० रिजवी,

प्रमुख सचिव ।

संख्या बीमा–145(1)/दस–94-55 (बी)/1992, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग,

(2) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

(3) श्री राज्यपाल का सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

(4) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ,

(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, इलाहाबाद,

(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(7) निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ,

(8) प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा

(9) समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव,

अनु सचिव ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 133 वि० सभा (231)–1994–12,000–डी० टी० पी० ।